छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1036/2008

1. श्री श्रीनिवास पाल, — अपीलार्थी
जनपद सदस्य, ग्राम बान्दे कालोनी,
उप डाकघर, तहसील–पंखाजूर,
जिला–कांकेर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/सचिव, — प्रति अपीलार्थी
ग्राम पंचायत–बड़े झाड़कट्टा,
पोस्ट–बड़गॉव, विकासखण्ड–कोयलीबेडा,
जिला–कांकेर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 20 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत– बड़े झाड़कट्टा, जिला–कांकेर के समक्ष दिनांक 20.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 14.05.2008 को सचिव को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 10.10.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और चूंकि सचिव प्रारंभ से लेकर अंतिम सुनवाई दिनांक तक कई नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्क सुने गये। प्रकरण में बीच में विलंब के लिए सचिव/जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और संबंधित जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण एक सप्ताह में कराने और उसके बाद उनसे सूची लेकर राशि 50/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान करने तथा अधिक की चाहने पर शुल्क लेकर देने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सचिव व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये। पूर्व में भी कुछ नोटिस डाक विभाग द्वारा सचिव द्वारा लेने से इंकार करने के कारण वापस किये गये हैं, इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश और आयोग का कारण बताओ सूचना पत्र के बाद भी सचिव द्वारा सूचना अधिकार के आवेदनों के प्रति काफी लापरवाही और गैर–जिम्मेदारी भरा रवैया दिखाया है। अतः विलंब के लिए दोषी पाया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत– बडे झाड़कट्टा, जिला–कांकेर पर पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा को उक्त सचिव के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा भी की जाती है। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे सचिव से आयोग के पूर्व आदेशानुसार 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे तथा अपीलार्थी से सूची लेकर राशि 50/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे एवं उससे अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क लेकर दी जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए ग्राम पंचायत की ओर से धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com